

(342)

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक 12(7)वन/2012/पार्ट

जयपुर, दिनांक:- 3 OCT 2013

आज्ञा

इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प0 12(9)वन/2013 दिनांक 26.8.2013 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. क्रम संख्या 2, 26 एवं 51 में कॉलम संख्या-7 में अंकित रेंज में क्षेत्रीय का पदस्थापन होने के परिणामस्वरूप नव पदोन्नत सहायक वन संरक्षकों के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-7 में अंकित "रेंज में स्वतंत्र प्रभारी" को विलोपित किया जाता है ।
2. क्रम संख्या 41 पर अंकित नवपदोन्नत सहायक वन संरक्षक श्री सत्यनारायण सिंह शक्तावत के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में अंकित नियंत्रण अधिकारी " उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर) के स्थान पर " उप वन संरक्षक, उदयपुर " पढा जावे।
3. उक्त आदेश दिनांक 26.8.2013 में अंतिम पैरा के रूप में निम्नलिखित तथ्य समाविष्ट किया जाता है :-

एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 9679/20133 भीखाराम एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित अन्तरिम निर्णय दिनांक 1.8.2013 के क्रम में उक्त प्रकरण में पारित अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

अपील संख्या 252/201 जुगल किशोर गज्जा बनाम राज्य सरकार में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 21.11.12 के क्रम में उक्त प्रकरण में पारित अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी ।

आज्ञा से,

SA

(पुष्पा सत्यानी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 वन मंत्री महोदया ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0 जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

SA
शासन उप सचिव

P.T.O.